

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.का./उदयपुर जोन/24006/2024/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमति भगवती यादव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (परिवीक्षाधीन), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खेरवाडा, उदयपुर का उनकी स्वयं की प्रार्थना के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि	विवरण
1	02.06.2021	15.06.2021	14	असाधारण अवकाश
2	17.06.2021	17.08.2021	62	
3	19.08.2021	30.09.2021	43	
योग			119	

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 25.10.2019 के बिन्दु संख्या 05 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर कार्मिका के परिवीक्षाकाल में असाधारण अवकाश की सीमा तक अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.का./उदयपुर जोन/24006/2024/107

दिनांक:- 08.05.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को उनकी आई.डी दिनांक 03.05.2024 के क्रम में।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को उनकी आईडी दिनांक 25.03.2024. के क्रम में।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) जयपुर, राजस्थान।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-उदयपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
- संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

RajKaj Ref
7003098

राजस्थान जयपुर
Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :08-05-2024 09:48:09